संख्या-57/2018-2379/58-2018-118/2016

प्रेषक,

सुधीर गर्ग,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊ: दिनांक 24 अक्टूबर, 2018**

विषय: वित्तीय वर्ष 2018-19 में विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं में से कतिपय योजनाओं को डी0बी0टी0 के माध्यम से क्रियान्वित किये जाने पर शिथिलता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्याराo0औ0मि0 4017/फर्म इन्पैनलमेंट/2018-19, दिनांक 21.08.2018 एवं संयुक्त निदेशक उद्यान के पत्र सं0-डी0एच0 356/उद्यान/फल पट्टी/2018-19, दिनांक 13.09.2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसमें शासनादेश सं0-39/2018-1419/58-2018-118/2016, दिनांक 26.06.2018 द्वारा वित्तीय वर्ष् 2018-19 में विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं में से कतिपय योजनाओं के संबंध में डी0बी0टी0 को शिथिल किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं को डी0बी0टी0 के माध्यम से क्रियान्वयन किये जाने के संबंध में निर्गत उपरोक्त शासनादेश दिनांक 26.06.2018 संरक्षित खेती प्रस्तर-2 एवं फल पट्टी विकास योजना हेतु प्रस्तर-6(1) में शिथिलता प्रदान करते हुए निम्नवत् व्यवस्था की जाती है :-

http://shasanadesh.up.nic.in

<u>संरक्षित खेती :-</u>

शासनादेश सं0-28/2016-912/58-2016-118/2016, दिनांक 07.4.2016 के प्रस्तर-10 भारत सरकार के निर्धारित मानकों के आधार पर चिह्नित इरेक्शनकर्ताओं से अपनी स्वेच्छानुसार निर्माण कार्य कराया जायेगा के अनुसार कार्यवाही की जाय।

<u>फलपट्टी योजना :-</u>

फलपट्टी योजना में कृषकों का चयन प्रथमआवक प्रथम पावक के अनुसार ऑफ लाइन पंजीकरण किये जाने की कार्यवाही की जाय।

शासनादेश दिनांक 26.06.2018 के शेष बिन्दु यथावत् हैं। उक्त शासनादेश के आलोक में योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(सुधीर गर्ग)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-57/2018-2379(1)/58-2018,तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री**,** उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0शासन।
2. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0शासन।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0शासन।
4. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0शासन।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0शासन।
6. निदेशक, कृषि विभाग, उ0प्र0लखनऊ।
7. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
8. समस्त मण्डलीय उप निदेशक उद्यान, उ0प्र0।
9. समस्त जनपदीय उद्यान अधिकारी, उ0प्र0।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्दुबाला कटियार)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in